न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 328–दो/15 विरूद्ध आदेश दिनांक 22–12–14 पारित द्वारा तहसीलदार, तहसील बागली प्रकरण कमांक 2/अ–13/13–14 एवं प्रकरण कमांक 15/अ–6/14–15.

राजाराम पिता गुमानसिंह (मृतक) वारिसान
1– गंभीरमल पिता राजाराम
2– सागरमल पिता चन्दनसिंह
3– बाबूलाल पिता चन्दनसिंह
4– सुनील पिता जगदीश
निवासीगण ग्राम झीकड़ाखेड़ा
तहसील बागली जिला देवास .....आवेदकगण

विरूद्ध

ब्रज भूषणसिंह पिता नरेन्द्रसिंह
निवासी ग्राम भाटवामंदा
तहसील बदनावर जिला धार .....अनावेदक

श्री एन.एस. राणावत, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री एन.एस. सिसौदिया, अभिभाषक, अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 8/11/16 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत तहसीलदार, तहसील बागली द्वारा पारित आदेश दिनांक 22–12–14 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक द्वारा तहसीलदार, बागली के समक्ष संहिता की धारा 131 के अंतर्गत इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि ग्राम झीकड़ाखेड़ा स्थित भूमि सर्वे कमांक 392 रकबा 1.61 हेक्टेयर उसके भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि है । उक्त भूमि पर आने–जाने हेतु आवेदकगण की भूमि में से रास्ता था, जिसे

आवेदकगण द्वारा अवरूद्ध कर दिया गया है, अतः प्रश्नाधीन रास्ता खुलवाया जाये । साथ ही अंतरिम रूप से रास्ता खुलवाये जाने हेतु संहिता की धारा 32 के अंतर्गत आवेदन पत्र भी प्रस्तुत किया गया । तहसीलदार द्वारा प्रकरण दर्ज कर दिनांक 22–12–14 को अंतरिम आदेश पारित कर प्रश्नाधीन रास्ता खुलवाये जाने का आदेश दिया गया । तहसीलदार के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदकगण की भूमि के पश्चात उमाबाई की भूमि में से रास्ता दिया गया है, परन्तु तहसील न्यायालय में उसे पक्षकार नहीं बनाया गया है । इस आधार पर कहा गया कि बिना आगे की कृषि भूमि के भूमिस्वामी को पक्षकार आगे रास्ता नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि जिस भूमिस्वामी की भूमि से रास्ता दिया जा रहा है, उसे पक्षकार बनाकर सुना जाना आवश्यक है । यह भी कहा गया कि अनावेदक के लिए सीधा रास्ता उपलब्ध होने के बावजूद भी वह आवेदकगण की भूमि में से रास्ता चाहा गया है, जिसे देने में तहसील न्यायालय द्वारा अन्यायपूर्ण कार्यवाही की गई है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनावेदक द्वारा स्वयं कथन में स्वीकार किया गया है कि उसके द्वारा सुनील से कृषि कार्य कराया जा रहा है, और सुनील द्वारा अपने कथन में कहा है कि वह अन्य रास्ते का उपयोग कर रहा है । ऐसी स्थिति में तहसील न्यायालय द्वारा रास्ता देने में विधि विरूद्ध कार्यवाही की गई है ।

4/ अनावेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनावेदक के आने–जाने के रास्ते को आवेदकगण द्वारा अवरूद्ध किया गया है, अन्य के द्वारा नहीं, इसलिए अन्य को पक्षकार बनाये जाने का प्रश्न नहीं है, और अन्य को रास्ता देने में किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है । यह भी कहा गया कि पंचनामा में वैकल्पिक रास्ता होने का उल्लेख नहीं है । तर्क में यह भी कहा गया कि यदि वैकल्पिक मार्ग होता तो अनावेदक की भूमि दो वर्ष तक पड़त नहीं रहती । यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया कि तहसीलदार द्वारा विधिवत स्थल निरीक्षण किया जाकर रास्ता खुलवाये जाने का आदेश दिया गया है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसीलदार द्वारा अभी अंतरिम आदेश पारित किया गया है, और प्रकरण का अंतिम निराकरण किया जाना है, जहां आवेदकगण को सुनवाई का अवसर उपलब्ध है । उनके द्वारा निगरानी निरस्त करने का अनुरोध किया गया ।

तर्कों के समर्थन में 1992 आर.एन. 222, 1988 आर.एन. 292, 1989 आर.एन. 340, 1995 आर.एन. 320, 1996 आर.एन. 10, 1996 आर.एन. 157 के न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किये गये ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसीलदार के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा विधिवत स्थल निरीक्षण किया जाकर प्रश्नाधीन रास्ता खुलवाये जाने का आदेश दिया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है । इस संबंध में आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक का यह तर्क मान्य किये जाने योग्य नहीं है कि आवेदकगण की भूमि से आगे, जिन कृषकों की भूमि से रास्ता जाता है, उन्हें प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाया गया है, क्योंकि जिन कृषकों द्वारा रास्ता नहीं रोका गया है, उन्हें पक्षकार बनाये जाने का कोई औचित्य नहीं है । इसके अतिरिक्त अभी तहसीलदार द्वारा अंतरिम आदेश पारित किया गया है, और प्रकरण का अंतिम निराकरण किया जाना है, जहां आवेदकगण को पक्ष समर्थन का अवसर उपलब्ध है । दर्शित परिस्थितियों में तहसीलदार द्वारा पारित आदेश विधिसंगत होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार, तहसील बागली द्वारा पारित आदेश दिनांक 22–12–14 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर